

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक: प.10(48)नविवि/3/2000

दिनांक :यथा ई हस्ताक्षरित

अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04.03.2024 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 7 के अन्तर्गत अनुमोदित कुशलगढ़ मास्टर प्लान-2023 की समयावधि दिनांक 30.06.2025 को समाप्त हो रही है, को एतद्वारा दिनांक 31.12.2025 अथवा नया मास्टर प्लान प्रारूप का प्रकाशन होने तक जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाता है।

यह मास्टर प्लान इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.04.2006 के द्वारा अधिसूचित “ कुशलगढ़ नगरीय क्षेत्र” के लिए लागू रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

**(रवि विजय)
शासन उप सचिव-प्रथम**

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजि सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
6. जिला कलक्टर, बासंवाडा।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
8. सहायक निदेशक/प्रोग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कुशलगढ़ (जिला-बासंवाडा)।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम